



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052025-263221
CG-DL-E-19052025-263221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947

No. 279]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2025

सं. 49 /2025

सा.का.नि. 322(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (उत्तीसवां संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962, परिशिष्ट-2 में प्ररूप आईटीआर-यू के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-यू (अद्यतन विवरणी के लिए आईटीआर) रखे जाएंगे, अर्थात् :—

प्ररूप	आ.क.वि. - यू	भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी [व्यक्तियों के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से अड़तालीस महीने के भीतर आय को अद्यतन करने के लिए] (पात्रता के लिए निर्देश देखें) (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12कग देखें)
--------	--------------	--

भाग क साधारण जानकारी - 139(8क)											
(क 1) पैन				(क2) नाम		(क3) आधार संख्या (12 अंक)					
(क4) निर्धारण वर्ष [कृपया निर्देश देखें]				(क 5) क्या इस निर्धारण वर्ष के लिए पहले विवरणी फाइल की गई थी? ☐ हाँ ☐ नहीं				(क 6) यदि हाँ, क्या धारा 139(1) के अधीन फाइल किया गया है ☐ ☐ अन्य			
(क7) यदि लागू हो, तो फाइल प्ररूप दर्ज करें, पावती संख्या या रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)				[कृपया ड्रॉपडाउन से आईटीआर प्रकार चुनें]		पाव.सं. और फाइल करने की तारीख				/ /	
(क8) क्या आप धारा 139(8क) के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुक में अधिकथित शर्तों के अनुसार अद्यतन विवरणी फाइल करने के पात्र हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं											
(क9) कृपया अपनी आय को अद्यतन करने के लिए आईटीआर प्ररूप चुनें (आईटीआर 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना चाहिए और ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भरा जाना चाहिए - निर्देश देखें)											
(क10) आपकी आय को अद्यतन करने के कारण: ☐ विवरणी पहले फाइल नहीं किया गया ☐ आय की सही सूचना नहीं दी गई ☐ आय के गलत शीर्ष चुने गए ☐ अग्रेषित हानि में कमी ☐ शेष अवक्षयण में कमी ☐ धारा 115अख/115 अग के अधीन प्रतिदेय कर में कमी ☐ कर की गलत दर ☐ अन्य											
(क11) क्या आप सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से 12 महीने तक ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से ☐ 12 से 24 महीनों के बीच की अवधि के दौरान अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 से 36 माह के बीच ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 से 48 माह के बीच											
(क12) (क) क्या आप अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर को कम करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं											
(ख) यदि हाँ, तो कृपया निर्धारण वर्ष निर्दिष्ट करें जहां इस अद्यतन विवरणी के कारण अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर प्रभावित हो रहा है। (कृपया ड्रापडाउन मेन्यू से चयन करें) ☐ क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए मूल/पुनरीक्षित विवरणी फाइल की गई है ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी फाइल की गई है ☐ हाँ ☐ नहीं											
भाग ख - कुल अद्यतन आय और देय कर की अति संगणना											
1.	क	आय का एक शीर्ष जिसके अधीन अद्यतन विवरणी राशि के अनुसार रुपये में अतिरिक्त आय लौटाई जा रही है	रूपए में रकम								
		आय का शीर्ष (यदि हाँ, तो कृपया अतिरिक्त आय निर्दिष्ट करें)									
	क.	वेतन से आय									
	ख.	गृह संपत्ति से आय									
	ग.	व्यापार या वृत्तिक से आय									

	घ.	पूँजीगत लाभ से आय	
	ङ.	अन्य स्रोतों से आय	
	च.	कुल अतिरिक्त आय (क+ख+ग+घ+ङ.)	
	ख.	पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय (केवल उन मामलों में जहाँ आयकर विवरणी पहले फाइल किया गया है)	
2.		भाग ख-टीआई के अनुसार कुल अद्यतन आय आयकर विवरणी 2/3/5/6/7 या भाग ग आ.क.वि - 1/4(यथा लागू) की कटौती और कर योग्य कुल आय (कृपया अनुदेश देखें)	
3.		देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटीआर के 2/3/5/6/7 या भाग घ अद्यतन आई.टी.आर-1 को संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यतन आई.टी.आर-1 (यथा लागू) के कर संगणना और कर प्राप्ति (कृपया अनुदेश देखें)	
4.		वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यतन किए गए आईटीआर 2/3/5/6/7 या भाग घ अद्यतन आ.क.वि.-1 के संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यतन आ.क.वि.4 (यथा लागू) की कर संगणना और कर प्राप्ति के भाग ख-टीआई के " प्रतिदाय " से ली जाए) (कृपया निर्देश देखें)	
5.		अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय राशि (केवल लागू मामलों में)	
6.		(i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा किया गया प्रतिदाय, यदि कोई हो (कृपया निर्देश देखें)	
		(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी किया गया कुल प्रतिदाय, यदि कोई हो (इस राशि में प्राप्त ब्याज धारा 244क के अधीन सम्मिलित होना चाहिए) (कृपया निर्देश देखें)	
7.		पहले विवरणी के अनुसार धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क	
8.		नियमित निर्धारण कर (लागू मामले में) (कृपया उस संदेय कर का उल्लेख करें जो क्रम सं. 5 में घोषित संदेय कर के अधिक है और उपर है)	
9.		अतिरिक्त आय पर सकल देयता	
		(i) [3+6ii-(5+8+4)] प्रतिदाय जारी की गई है	
		(ii) [3+6i-(5+8+4)] प्रतिदाय जारी नहीं किया गया है	
10.		अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देयता [25% or 50% या 60% या 70% of (9-7)]	
11.		देय शुद्ध रकम (9+10)	
12.		140ख के अधीन संदेय कर	
13.		देय कर (11-12)	
14.		कर संदाय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार)	
	क	धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर कर के भुगतान का विवरण	
	140ख के अधीन कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड
		जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान रकम की क्रम संख्या
		रकम(रु.)	
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(5)	
		i	
		ii	
		iii	
		iv	
		टिप्पण ► भाग ख-अति के क्र. सं.11पर धारा 140ख के अधीन संदेय कर का योग	
	ख	अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर/नियमित निर्धारण कर के भुगतान का विवरण, जिसके लिए जमा नहीं किया गया है पहले के विवरणी में दावा किया गया है (उसके लिए धारा 140ख(2) के अधीन प्रतिदेय की अनुमति नहीं है)	

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2025

No. 49 /2025

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8A) of section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Income-tax (Nineteenth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form ITR U, the following Form ITR-U (ITR for updated return) shall be substituted, namely: —

“FORM	ITR-U	INDIAN INCOME TAX UPDATED RETURN [For persons to update income within forty-eight months from the end of the relevant assessment year] <i>(Refer instructions for eligibility)</i> <i>(Please see rule 12AC of the Income-tax Rules, 1962)</i>									
PART A - GENERAL INFORMATION – 139(8A)											
(A1) PAN 						(A2) Name 		(A3) Aadhaar Number (12 digits) 			
(A4) Assessment Year <i>[Please see instruction]</i> 						(A5) whether return previously filed for this assessment year? ☐ Yes ☐ No			(A6) If yes, Whether filed u/s ☐139(1) ☐Others		
(A7) If applicable, enter form filed, Acknowledgement No. or Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) 						(Please select ITR type from drop-down) 		Ack No. and date of filing 			
(A8) Are you eligible for filing an updated return as per the conditions laid out in first, second, third and fourth provisos to section 139(8A)? ☐ Yes ☐ No											
(A9) Please choose the ITR form for updating your income (ITRs 1-7 to be selected from drop-down and filled as per the details made available by e-filing utility – see instruction) 											
(A10) Reasons for updating your income: ☐ Return previously not filed ☐ Income not reported correctly ☐ Wrong heads of income chosen ☐ Reduction of carried forward loss ☐ Reduction of unabsorbed depreciation ☐ Reduction of tax credit u/s 115JB/115JC ☐ Wrong rate of tax ☐ Others											

(A11) Are you filing the updated return during the period ☐ upto 12 months from the end of the relevant assessment year ☐ between 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year ☐ between 24 to 36 months from the end of the relevant assessment year ☐ between 36 to 48 months from the end of the relevant assessment year			
(A12) (a) Are you filing the updated return to reduce carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit? ☐ Yes ☐ No (b) If yes, please specify the assessment years where carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit is being affected because of this updated return. <i>(Please select from drop down menu)</i> ☐ Whether original/revised return has been filed for the AY in (b) above ☐ Yes ☐ No ☐ Whether updated return has been filed for the AY in (b) above ☐ Yes ☐ No			
PART B – ATI COMPUTATION OF TOTAL UPDATED INCOME AND TAX PAYABLE			
1.	A	Head of income under which additional income is being returned as per Updated Return Head of income (If yes, please specify additional income) a Income from Salary b Income from House Property c Income from Business or Profession d Income from Capital gains e Income from other Sources f. Total additional income (a+b+c+d+e) B. Total income as per last valid return (only in cases where the Income Tax Return has previously been filed)	Amount in Rs.
2.		Total income As per Part B-TI of ITR-2/3/5/6/7 or Part C– Deductions and Taxable Total Income of ITR-1/4 (as applicable) <i>(Please see instruction)</i>	
3.		Amount payable, if any (To be taken from the “Amount payable” of Part B-TTI of updated ITR-2/3/5/6/7 or Part D-Computation of Tax Payable of updated ITR-1 or Part D- Tax computations and Tax Status of updated ITR-4) (as applicable) <i>(Please see instruction)</i>	
4.		Amount refundable, if any (To be taken from “Refund” of Part B-TTI of updated ITR-2/3/5/6/7 or Part D-Computation of Tax Payable of updated ITR-1 or Part D- Tax computations and Tax Status of updated ITR-4) (as applicable) <i>(Please see instruction)</i>	
5.		Amount payable on the basis of last valid return <i>(only in applicable cases)</i>	
6.		(i) Refund claimed as per last valid return, if any <i>(Please see instruction)</i>	
		(ii) Total Refund issued as per last valid return, if any (including interest u/s 244A received) <i>(Please see instruction)</i>	
7.		Fee for default in furnishing return of income u/s 234F	
8.		Regular Assessment Tax, if any <i>(in applicable cases)</i> <i>(Please mention the tax paid which is over and above the tax payable declared in sl.no.5)</i>	
9.		Aggregate liability on additional income,	
		(i) in case refund has been issued [3 + 6ii- (5 + 8 +4)]	
		(ii) in case refund has not been issued [3 + 6i – (5+8+4)]	
10.		Additional income-tax liability on updated income [25% or 50% or 60% or 70% of (9-7)]	
11.		Net amount payable (9+10)	
12.		Tax paid u/s 140B	
13.		Tax due (11-12)	

14. TAX PAYMENTS (ONLY as per Updated Return)					
A Details of payments of tax on updated return u/s 140B					
TAX PAID U/S 140B	Sl. No.	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	NOTE ► Enter the totals of tax paid u/s 140B at Sl. No.11 of Part B-ATI				
B TAX PAYMENTS					
ADVANCE/SELF ASSESSMENT/ REGULAR ASSESSEE	Details of payments of Advance Tax / Self-Assessment Tax / Regular Assessment Tax, credit for which has not been claimed in the earlier return (credit for the same is not to be allowed again under section 140B(2))				
	Sl. No.	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	NOTE ► Credit for above is not to be allowed again under section 140B(2)				
15. Relief u/s 89 which is not claimed in earlier return [relief for the same is not to be allowed under section 140B(2)]					Rs.

VERIFICATION

I, son/ daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number. (Please see instruction).

Date:

Signature:”.

[F. No. 370142/20/2025-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* number GSR 303(E), dated the 09th May, 2025.